क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1905/OA No-360/2022/23 दिनांक 19.12.23

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (मै0 गांधी ईट उद्योग), ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में Action Taken Report पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित।

संलग्नक :उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को Action Taken Report की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2 श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

O/C

Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A No. 360 of 2022 Munishankar Sharma V/s State of U.P. & Ors. as per order of Hon'ble National Green Tribunal dated 06.10.2023

The Hon'ble National Green Tribunal has passed an order dated 06.10.2023 in O. A. No. 360 of 2022 Munishankar Sharma V/s State of U.P. & Ors, the operative part of which is quoted below:-

"-----*1. This matter relates to the allegation of violation of environmental norms by the brick kilns at Aligarh, Uttar Pradesh.*

2. This Tribunal has passed a detailed order in connected OA 889/2022 today after considering the report filed by the UPPCB.

3. Learned Counsel appearing for the UPPCB has prayed for further time to file a fresh report in this matter also in terms of order passed in OA No. 889/2022. The prayer is allowed.

4. List on 21.12.2023. "

In compliance of Hon'ble NGT order passed on 06.10.2023 latest inspection of brick kiln M/s Krishna Ent Udhyog (old name-M/s Gandhi Ent Udhyog), Village-Kandli, Tehsil-Iglas, Aligarh was conducted on 04.12.2023 by the officials of U.P. Pollution Control Board, Aligarh. During inspection the brick kiln was not in operation. The following facts were observed during inspection:-

i. The production capacity of the brick kiln M/s Krishna Ent Udhyog (old name-M/s Gandhi Ent Udhyog), Village-Kandli, Tehsil-Iglas, Aligarh is 20,000 bricks/day by using raw material soil & water.

ii. The closure order against brick kiln M/s Gandhi Ent Udhyog, Village-Kandli, Tehsil-Iglas, Aligarh was issued by the Board vide letter no H63514/C-4/SA-II-755/closure/2021 dated 16.07.2021 and due to change in name of the brick kiln from M/s Gandhi Ent Udhyog to M/s Krishna Ent Udhyog, Village-Kandli, Tehsil-Iglas, Aligarh later on closure order was also issued to M/s Krishna Ent Udhyog, Village-Kandli, Tehsil-Iglas, Aligarh vide letter no. H79760/C-4/Ent-1036/closure/2022 dated 11.08.2022. The copy of the closure orders issued vide letter Dated 16.07.2021 and 11.08.2022 and are enclosed as **Annexure-1.**

iii. Since the brick kiln was found operational from 20.01.2022 to 21.02.2022 violating the closure order issued by U.P. Pollution Control Board. So the Environmental Compensation of Rs. 4,12,500/- was imposed by the UPPCB vide letter dated 30.12.2022. The copy of the letter Dated 30.12.2022 is enclosed as **Annexure-2.**

iv. A letter to District Magistrate, Aligarh was sent vide no. H03026/C-4/SA-158/EC/2023 dated 17.11.2023 to recover the imposed Environmental Compensation as land revenue. The copy of the letter Dated 17.11.2023 is enclosed as **Annexure-3.** In the mean while the project proponent has deposited the imposed Environmental Compensation of Rs. 4,12,500/- in the dedicated account on 18.12.2023. The intimation sent by the project proponent vide his letter dated 18.12.2023 is enclosed as **Annexure-4.**

v. During inspection dated 04.12.2023, it was found that the trench of the brick kiln was damage and there is a no facility of port hole and stair to collect the emission sample. The copy of the inspection report is enclosed as **Annexure-5**

The above action taken report is being submitted for perusal and consideration.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Aligarh

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Date 16.07.2021

Ref. No H63514 /C-4/Gen-II-755/Closure/2021

पंजीकृत

M/S Gandhi Ent Udhyog, Vill- Kandli, Tehsil-Iglas, Aligarh
अलीगढ़।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अलीगढ़ की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अलीगढ़ में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से वन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेंन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्वन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्वन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी वन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि संलग्न सूची में अकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

5/AEE/D.E
17/7/21

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत
दिनांक 11-8-22

पत्रांक संख्या : H-2917-60 / सी–4 / ईट–1035 / बन्दी / 2022

मै0 कृष्णा ईंट उद्योग,
ग्राम– कांडली, तह0–इगलास,
जनपद–अलीगढ़।

मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 05.07.2022 एवं 08.07.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहोल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पाया गया। ईंट भट्ठे की स्थापना / संचालन राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति स्थापनार्थ / सहमति (जल / वायु) प्राप्त किये बिना की गई है।

निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठा स्थल से पश्चिम दिशा में लगभग 550 मी0 की दूरी पर ग्राम–सातलौनी खुर्द, उत्तर दिशा में लगभग 170 मी0 की दूरी पर प्रकाश पब्लिक स्कूल, लगभग 610 मी0 की दूरी पर एक अन्य ईंट भट्ठा, दक्षिण दिशा में लगभग 320 मी0 की दूरी पर ए0बी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल एवं पूरब–उत्तर दिशा में लगभग 770 मी0 की दूरी पर ग्राम–कांडली स्थित है, जो जिला पंचायत एवं ईंट भट्ठा की स्थापना हेतु जारी गाइडलाइन 2012 के विरुद्ध है।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र सं0–1160 / ओ0ए0–360 / 2022 दिनांक 02.08.2022 द्वारा प्रेषित आख्या में प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत विधिक / बन्दी कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ का भविष्य में उक्त स्थल पर बिना राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति के संचालन न किया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2– प्रभारी अधिकारी खनन जनपद अलीगढ़ को इस आशय के साथ कि उक्त भट्ठे का खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का कष्ट करें।
3– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि भट्ठे का लाइसेंस निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

16/8/2022

Annexure-2
45
16/01/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक/H86559/सी–4/ईट–1035/पर्या०क्षति०/2022 दिनांक 30-12-22

सेवा में,

मै0 कृष्णा ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईंट उद्योग),
ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास,
जनपद–अलीगढ।

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 63514/सी–4/सामान्य–II-755/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से मै0 कृष्णा ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईट उद्योग), ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 21.09.2022 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री शिव सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्ठा निरीक्षण के समय बंद पाया गया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्ठे का संचालन दिनाक 20.01.2022 से दिनांक 21.02.2022 तक किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, पोर्टहाल, प्लेटफार्म आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 21.02.2022 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 के अनुपालन में निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का संचालन जिलास्तरीय समिति द्वारा वन्द करा दिया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र सं0–1526/ओए–360/2022 दिनांक 21.09.2022 में बन्दी आदेश जारी होने के उपरान्त भी संचालन किये जाने के कारण दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 21.02.2022 तक कुल 33 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/- प्रतिदिन की दर से 33 दिवस हेतु कुल रू0 4,12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 21.09.2022 के आधार पर मै0 कृष्णा ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईट उद्योग), ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 20.01.2022 से दिनांक 21.02.2022 तक कुल 33 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,12,500/– (रूपये चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 4,12,500/– (रूपये चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 मे 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

AEE
25/1/23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1 जिलाधिकारी, अलीगढ।
2 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी सी–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई-मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

25/1/23 24/1/23

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 03026 सी-५/स्था-158/पर्या०क्षति०/2023 Dated 17/11/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अलीगढ़।

विषयः जनपद–अलीगढ़ (सूची संलग्न) के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद–अलीगढ़ के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जो इकाइयों को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित हैं। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरूद्ध संलग्न सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC** कोड **UBIN 0570150** में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

संलग्नकः–यथोपरि।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, अलीगढ़ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C.-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

ALIGARH

S. No.	District	Name and Address of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs)	Date of letter issued
1	Aligarh	M/s Unnati Construction Pvt.Ltd. Central Park Aligarh	9006250	H 61838/C-4/Gen-II-699/2021 Date 17.05.2021
2	Aligarh	M/s Wave Distileery & Brewaries Ltd. (Brewaries Unit), Ahmadpur, Ramghat Road, Atrauli, Aligarh	30000	H 86286/C-4/ Jal Sahmati-03/Nishep/ 2022 Date 26.12.2022
3	Aligarh	M/s Krishna Ent udyog (Old name-M/s Gandhi Ent Udyog), Vill-Kandli, teh-Iglas, Aligarh	412500	H-86559/C-4/Ent-1035/E.C./2022 Date 30.12.2022
4	Aligarh	M/s Hind Agro Industries Ltd, CDF Complex, Anoopshahar Road, Teh-Koal, Aligarh	20000	H 89112/C-4/Water-27/Nishep/2023 Date 14.02.2023
5	Aligarh	M/s Kasim Brick Works (Old Name-M/s Alenavi Brick Works),Vill-Jalali, Teh-Koal, Distt-Aligarh	675000	H-97497/C-4/Ent-1099/E.C./2023 Date 12.07.2023
6	Aligarh	M/s Revti Balram Ent Udyog (Old name-M/s Shri Banke Bihari Ent Udyog), Vill-Tamotia, Tehsil-Iglas, District-	362500	H-00652/C-4/Ent-1256/E.C./2023 Date 13.09.2023

Annexure-4

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

विषय- **मै0 कृष्णा ईट उद्योग, (पूर्वनाम मै0 गोंधी ईट उद्योग), ग्राम कांडली, तहसील इगलास, जनपद-अलीगढ़ पर अधिरोपित ई0सी0 को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्याःएच86559/सी-4/ईट-1035/पर्या0क्षति0/2022 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से रू0 4,12,500.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी एवं बोर्ड मुख्यालय के खाता संख्या-701502010002104 में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 18.12.2023 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित रू0 4,12,500.00 को बोर्ड मुख्यालय के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी कोड सं0- UBINO570150 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किया गया है।

अतः बोर्ड मुख्यालय के खाता संख्या में जमा करायी गयी धनराशि को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किये गये प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपके कार्यालय अभिलेख में अंकित किये जाने हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(हरिमोहन अग्रवाल)

पुत्र श्री बृजकिशोर अग्रवाल, प्रोपराइटर

मै0 कृष्णा ईट उद्योग,

(पूर्वनाम मै0 गोंधी ईट उद्योग),

ग्राम कांडली, तहसील इगलास, जनपद-अलीगढ़

निवासी- सराय बाजार, इगलास,

जनपद अलीगढ़ (उ0प्र0) मो0- 9634663111

AEG 18/12/23

प्रति-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को मयसंलग्नक।
2. उप जिलाधिकारी, इगलास, जनपद अलीगढ़ को मयसंलग्नक।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मयसंलग्नक।

MA 18/12/23

इगलास शाखा अलीगढ़ - 202124
IGLAS BRANCH ALIGARH - 202124
IFSC: CBIN0280247 77982

18122023 49
D D M M Y Y Y Y

your self — या धारक को OR BEARER

RUPEES four Lac Twelve Thousand five hundred only.

अदा करें ₹ 4,12,500/-

खा.सं. A/c No.	3446412075

HARI MOHAN AGARWAL

IGLAS

कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈046095⑈ 202016290⑆ 000439⑈ 31

Union Bank of India

Uttar Pradesh Pollution Control Board

70150201000 2104

8859997222

UBIN0570150

046095 — 18.12.2023

₹ 4,12,500/-

UTR— CBINR520231218 1000 6410

50

Central Bank of India

STATEMENT OF ACCOUNT CENTRAL BANK OF INDIA

IGLAS_IGLAS
TEHSIL ROAD
IGLAS
Branch Code : 247
GSTIN:09AAACC2498P3ZZ

Mr. HARI MOHAN AGARWAL
S/OSHRIBRIJKISHOREAGARWAL **Account No. :** 3446412075
SARAYBAJAR **Product :** HSS-GEN-PUB-IND-SEMI URBAN-INR
IGLAS **Currency :** INR
202124

Nomination:Y

Date : 18/12/2023 **Time :** 14:44:04 **E-mail :**

Cleared Balance : 42,506.57Cr **Uncleared Amount :** 0.00

Limit : 0.00 **Drawing Power :** 0.00 **Int. Rate :** 2.9000 % p.a.

Statement From 15/12/2023 to 18/12/2023 **Page No. :** 1

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				30,035.48Cr
18/12/23	18/12/23	BR/BY TRF/CHQ NO 036	036565		4,25,000.00	,55,035.48Cr
18/12/23	18/12/23	RTGS UTTAR PRADE CBINR52023121810	046095	4,12,500.00		42,535.48Cr
18/12/23	18/12/23	BANK COMMISSION		24.50		42,510.98Cr
18/12/23	18/12/23	GST		4.41		42,506.57Cr

CARRIED FORWARD : 42,506.57Cr

Annexure-5

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 06.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 06.10.2023 को आदेश पारित किया गया है। उक्त जारी आदेश के अनुपालन में ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ में स्थित ईट भट्ठा मै0 कृष्णा ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईट उद्योग) का निरीक्षण दिनांक 04.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर केवल चौकीदार उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
2. ईट भट्ठा अक्षांश–27.665642 व देशान्तर–77.911418 पर स्थापित है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की ट्रन्च टूटी हुई पायी गयी तथा ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म, पोर्टहोल एवं सीढी स्थापित नहीं पाये गये। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ **संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।**
4. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा पूर्व में मै0 गांधी ईट उद्योग के नाम से वर्ष 1991–92 में श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री हरिमोहन द्वारा संचालित किया गया था।
5. सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु प्रथम बार तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा में दिनांक 04.02.1999 में आवेदन किया गया था। आवेदन किये जाने के उपरान्त ईट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा द्वारा प्रथम बार दिनांक 30.06.1999 तक सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत किया गया था।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा का संचालन राज्य बोर्ड से नियमानुसार सहमति जल व वायु प्राप्त करते हुए लगातार वर्ष 2007 तक किया गया एवं वर्ष 2007 में क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा उक्त भट्ठे को दिनांक 30.06.2007 तक सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार मै0 गांधी ईट उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त न किये जाने एवं बिना संचालन की स्थिति में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच63514 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
8. ईट भट्ठे द्वारा संचालन के समय मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईट का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
9. ईट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
10. ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले/तूरी का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है।
11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा परिसर में लगभग–20 हजार पक्की ईट भण्डारित पायी गयी।
12. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को वर्तमान में संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रदान नही है।

1/2

13. उक्त ईट भट्ठे को मै0 गांधी ईट उद्योग, ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के नाम से बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच63514/सी–4/सामान्य–II-755/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच79760/सी–4/ईट–1036/बन्दी/2022 दिनांक 11.08.2022 के द्वारा मै0 कृष्णा ईट उद्योग, ग्राम–कांडली, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के नाम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। दोनों बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। दोनों बन्दी आदेशों की **छायाप्रतियां संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।**

14. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच86559/सी–4/ईट–1035/पर्या0क्षति0/2022 दिनांक 30.12.2022 (**छायाप्रति संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है**), के द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 4,12,500/– (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) अधिरोपित किये गये हैं। ईट भट्ठे द्वारा अभी तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय में नही दी गयी है। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1452/ओ.ए.–360/22/2023 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति आर0सी0 (रिकवरी सर्टीफिकेट) जारी किये जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। **छायाप्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।** बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच03026 दिनांक 17.11.2023 के द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की भू–राजस्व की भांति वसूली करते हुए बोर्ड के खाते में जमा कराकर बोर्ड को सूचित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। **उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।** इस कार्यालय के पत्र संख्या–1874 दिनांक 16.12.2023 के द्वारा भी जिलाधिकारी, अलीगढ़ को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की भू–राजस्व की भांति वसूली करते हुए बोर्ड के खाते में जमा कराकर बोर्ड को सूचित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। **उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नक–6 के रूप में संलग्न है।**

15. कार्यालय अभिलेखानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मुनीशंकर शर्मा द्वारा ईंट भट्ठे के विरूद्ध की गयी शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए ओ0ए0 संख्या–360/2022 मुनीशंकर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 दिनांक 22.05.2022 के माध्यम से आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 25.06.2022 के माध्यम से कमेटी गठित की गयी थी। गठित कमेटी द्वारा ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 08.07.2022 को किया गया था। विस्तृत निरीक्षण आख्या मा0एनजीटी की साईड पर अपलोड की गयी थी। मा0 एन0जी0टी0 में ओ0ए0 एप्लीकेशन विचाराधीन है।

उपरोक्त आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(उपेन्द्र प्रसाद)	(अजय कुमार)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़	अलीगढ़	अलीगढ़

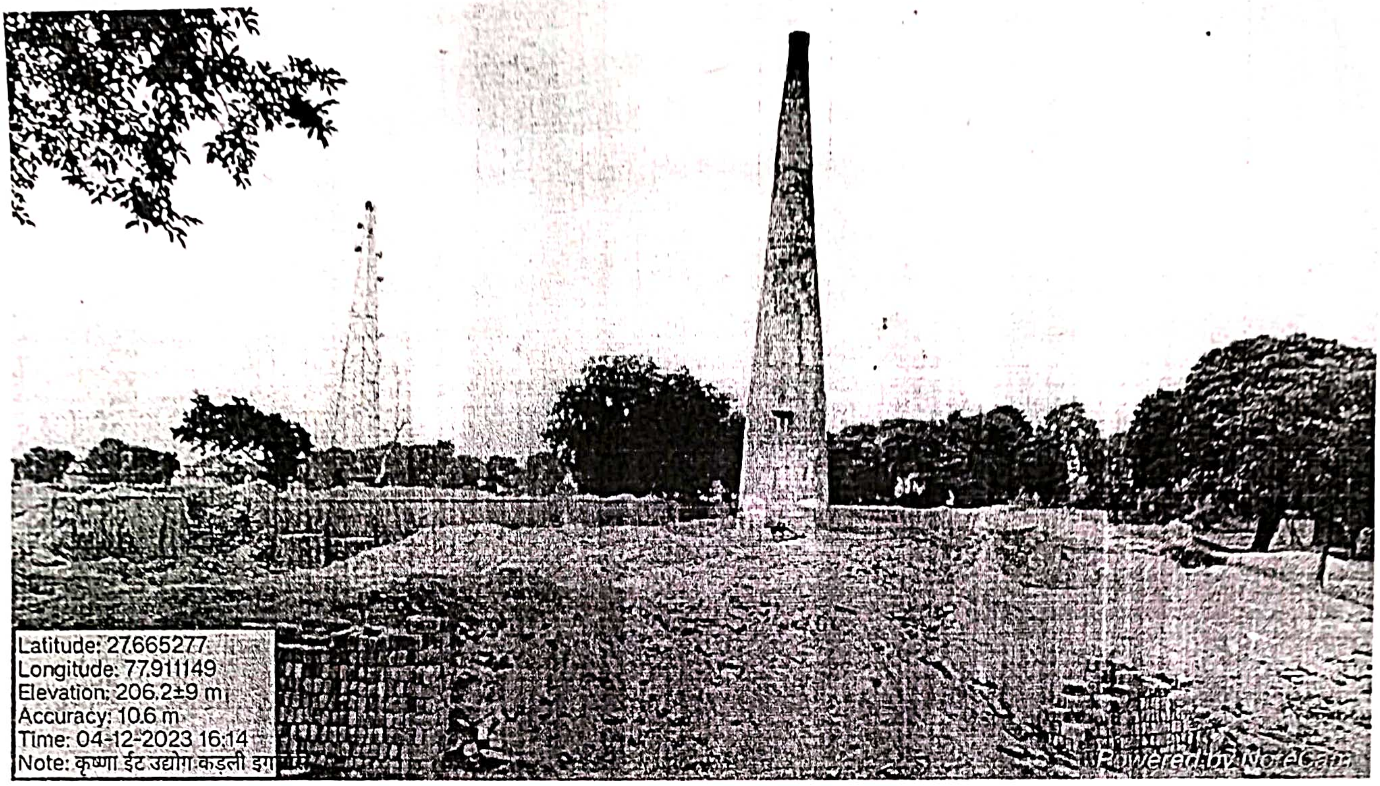
Latitude: 27.665277
Longitude: 77.911149
Elevation: 206.2±9 m
Accuracy: 10.6 m
Time: 04-12-2023 16:14
Note: कृष्णा ईंट उद्योग कड़ली इग
Powered by NoteCam